न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 25 / 2016

1 नाथूराम पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी गोड़ावास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 उम्मेद सिंह दत्तक पुत्र बेरीसाल सिंह जाति राजपूत निवासी नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
2 घीसू सिंह पुत्र उगम सिंह जाति राजपूत निवासी नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम विरूद्व निर्णय दिनांक 23.02.2016
बउनवानी उम्मेद सिंह बनाम उगम सिंह आदि
प्रार्थना पत्र संख्या 186 / 2011 पीठासीन अधिकारी
श्री सत्यवीर यादव आर.ए.एस

उपस्थिति :

1. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयसिंह तंवर, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 14-10-22

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 186/2011 में पारित निर्णय दिनांक 23.02.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय ने प्रार्थी रेस्पोडेंट संख्या 01 ने धारा 212 का आवेदन प्रस्तुत कर भूमि खसरा नम्बर 868 वाके नीमकाथाना के सन्दर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 868 का खातेदार उगमसिंह था। उगमसिंह ने जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र अपीलांट नाथुराम को बेचान कर दी। अपीलांट रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। विचारण न्यायालय ने रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर विधिक त्रुटि की है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर. टी. 2017 (1) पेज 360, आर.आर.टी. 2013 (2) पेज 828, आर.आर.टी. 2011 (1) पेज 612, आर.एल.डब्ल्यू 2014 (1) पेज 660, आर.आर.टी. 2010 (2) पेज 1210 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने वाद के निर्णय तक खसरा नम्बर 868 की प्लॉटिंग व विक्रय नही करने के लिये पाबन्द किया है। विधि का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि दावे के निर्णय तक मूल विषय वस्तु को सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है। विवादित भूमि कृषि भूमि है।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

इसका गैर कृषि उपयोग निषिद्व है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय ने वाद के निर्णय तक खसरा नम्बर 868 की प्लॉटिंग व विक्रय नही करने के लिये पाबन्द किया है। विधि का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि दावे के निर्णय तक मूल विषय वस्तु को सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है। विवादित भूमि कृषि भूमि है। इसका गैर कृषि उपयोग निषिद्व है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने मूल वाद के निर्णय तक विवादित भूमि को प्लॉटिंग नही करने एवं विक्रय नही करने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर कोई विधिक त्रुटि नही की है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 14-10-22 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर